राजस्व लोक अदालत केम्प सिमरखीया तहसील पचपदरा

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम आर.ए.एस

2018/01069

मुकदमा न0 31/2018

अपीलांण्टगण	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1. मोहनराम पुत्र मंगलाराम जाति जाट निवासी दुर्गापुरा		1. हडमानराम पुत्र उदाराम, 2. रेवतारामग्राम पुत्र मंगलाराम, 3. रूगाराम पुत्र गेनाराम, 4. बाबुलाल पुत्र गेनाराम, 5. बीजाराम पुत्र दीपराम जाट निवासी दुर्गापुरा सरपंच ग्राम पंचायत दुर्गापुरा

अपील अंतर्गत धारा 75 रा.भू.राजस्व अधिनियम विरूद्व

आदेश दिनांकः–25.05.2018

यह अपील अपीलान्ट के द्वारा अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार ग्राम पंचायत सिमरखिया में प्रस्तुत की गई है।

संक्षिप्त मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि मूल ग्राम दुर्गाराम के खेत खसरा न0 473/381 रकबा 106.16बीघा, 516/417 रकबा 82.08 बीघा, 481/372 रकबा 54.02 बीघा, 385 रकबा 68.00 बीघा 386 रकबा 219.06 बीघा, 822/385 रकबा 38.04 बीघा की भूमि में आया हुआ है। उक्त आराजी में अपीलाण्ट का पिता मंगलाराम पुत्र निम्बाराम का देहान्त होने पर नामान्तरकरण संख्या 478, 479 को भरते समय लिपिकीय भूल से मंगलाराम के वारिसान मोहनराम, रेवताराम के नाम दर्ज करने चाहिये थे परन्तु पटवारी बागावास द्वारा लिपिकिय भूल से मोहनराम की बजाय पुरखाराम दर्ज कर दिया है। जो अशुद्ध गलत है। जबकि अपीलाण्ट का सही एव वास्तविक नाम दस्तावेजों के अनुसार मोहनराम पुत्र मंगलाराम है। उक्त अपील पत्र के संबंध मे पटवारी/आरआई/तहसीलदार पचपदरा की संयुक्त रिपोर्ट प्राप्त की गई उक्त रिपोर्ट अनुसार अपीलाण्ट का नाम मोहनराम पुत्र मंगलाराम सही नाम दर्ज करने की सिफारिश की है।

अतः अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत ब्यानकर्ता मोहनराम, हडमानराम व प्रस्तुत दस्तावेज व पटवारी बागावास /आरआई बडनावा/ तहसीलदार पचपदरा की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिसके

(भागीरथ राम)

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प......................

Scanned by CamScanner

अनुसार परस्तुत दस्तावेज, आधार कार्ड, राशनकार्ड,, पहचान पत्र की रिपोर्ट अनुसार अपीलाण्ट का राजस्व रेकर्ड मे नाम मोहनराम की बजाय पुरखाराम है जबकि सही नाम मोहनराम पुत्र मंगलाराम है।

पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेज का अवलोकन व अध्ययन किया गया । अपीलान्टगण को सुना गया। मजमे आम मे उपस्थित लोगो से पूछताछ की गई। इसके आधार पर अपील

अपीलान्ट स्वीकार कर ग्राम दुर्गाराम के खेत खसरा न0 473/361 रकबा 106.16बीघा, 516/417 रकबा 82.08 बीघा, 481/372 रकबा 54.02 बीघा, 385 रकबा 68.00 बीघा 386 रकबा 219.06 बीघा, 822/385 रकबा 38.04 बीघा मे पुरखाराम के स्थान मोहनराम पुत्र मंगलाराम दर्ज किया जाता है। तहसीलदार पचपदरा को आदेश जारी हो ।

आदेश राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार में सुनाया गया ।
पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प- 2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प......................

Scanned by CamScanner